(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला सरकार द्वारा विवरण ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1352/90]

(II) (क) डा. गोपाल सिंह की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त पेनल द्वारा अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रतिवेदन (भाग-I और II), उस पर व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार की टिप्पणियों को दर्शाने वाला विवरण ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टी 1334/90]

(III) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन, शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1989 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 781, दिनांक 21 अक्तूबर, 1989 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1351/90]

Report and Accounts (1980-81 and 1981-82) of the Rajasthan State Dairy Development Corporation Limited, Jaipur and related papers

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं ।

(I) (क) वर्ष 1980–81 के लिए राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

(II) (क) वर्ष 1981–82 के लिए राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण ।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) ।

[पुस्तकालय में रखीं गई ।देखिए स. एल टीं 1359/90]

Notification publishing the Rules, Edible oilseeds and Edible oils (storage Control) third Amendment orders, 1990.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामपूजन पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन, दाल, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1990 को प्रकाशित करने वाली खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 505 (अ), दि ांक, 22 जून, 1990 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में (सभा पटल पर रखतहूं ।

[पुस्तकालय में रखीं गई । देखिए स. एल टीं 1250/90]

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to make some announcement. (*Interruption*). Let me finish my business. I have to inform the Members that the Prime Minister will make a statement regarding constitution of the National Security Council at 5.00 P.M. today. A supplementary list of business is being issued separately. Now Special Mentions. (*Interruptions*)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, please allow me to speak for one second. (*Interruptions*).

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपसे एक मिनट की अनुमति चाहता हूं। यहां दिल्ली में एक जिमखाना क्लब है। उस जिमखाना क्लब में कल कुछ सांसदों ने जाने का प्रयास किया। महोदया, जिमखाना कलब का यह नियम हैं कि जो भारतीय वेषभूषा है—धोती और कुर्ता—उसे पहनकर वहां नहीं जा सकते। महोदया, मैं इस बात को मानता हूं कि यह प्राइवेट क्लब है लेकिन यह 27 एकड़ सरकारी जमीन पर बना हुआ है। यह जिमखाना क्लब तो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों के जमाने की निशानी है।

महोदया, मेरा निवेदन है कि संसद को इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि जिससे कोई भी प्राइवेट क्लब देशी वेशभूषा पर रोक न लगा सके। धोती-कुर्ता पहने सांसद कल जिमखाना क्लब गए थे ... (व्यवधान)

उपसभापति: एक मिनट, मालवीय जी। मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं कि इस देश में हरेक को अपना लिबास पहनने का अख्तियार होना चाहिए। चाहे धोती-कुर्ता पहनें, चाहे साड़ी पहनें, चाहे पेंट पहनें, कुछ भी पहनें मगर यह चूंकि प्राइवेट क्लब है इसलिए आज के नियमों के मुताबिक उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: 27 एकड़ सरकारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग यदि जीवित होते तो ऐसा नहीं होता। महोदया, मेरा निवेदन है कि यह सारे राष्ट्र का अपमान है।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदया, इसके नियमों में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए।

उपसभापति: वह तो जब होगा तब होगा मगर आज जो हालात हैं वह तो रहेंगे। आप हाऊस में कोई भी डीसेंट लिबास पहनकर आ सकते हैं, मैं आब्जेक्ट नहीं करूंगी। जहां मेरा ज्यूरिसडिक्शन है वहां आपको कपड़ों के लिहाज से हर चीज की इजाजत है।

SHRI P. SHIV SHANKER): Magal): Madam, don't stretch it too far. (*Innterruptions*). The Leader of the Opposition.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bendam, I would like to bring to your kind notice that just now, the anti-reservation agitationists have forced themselves into Jawahar Bhavan and have broken the glass panes. The misfortune is that there is no police to protect it. May I request the Leader of the House to take some action and see...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will ask the Government to protect Jawahar Bhavan and every other place which is being attacked.

REPORTED PRO-SATI STAND OF A PARTY LEADER

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Madam, please permit me to raise a matter which I have been trying to raise from yesterday. Yesterday some other issues were taken up. Yesterday we passed the National Commission on Women Bill. The entire House unanimously approved the Bill...(*Interruptions*)...reservations. The Government have been saying that they want to give status to women, involvement in national development, share in the power structure, development of women and so many things. Madam, we know that the previous Congress Government headed by Shri Rajiv Gandhi has passed the Sati Act. Till today, it is such a pernicious...(*Interruption*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Anti-Sati.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: It is called the Prevention of